

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
(आरक्षण प्रकोष्ठ)  
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 6 मार्च, 1995.

क्रमांक एफ-7-5/94-1/आप्र,  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश.

विषय.—चयन समिति/छानबीन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति में अनु. जाति, अनु. जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों के सदस्य को शामिल करने विषयक.

संदर्भ.—इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 7-11-94.

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र द्वारा जारी किये गये आदेश के तारतम्य में कृपया यह सुनिश्चित किया जावे कि चयन समिति/छानबीन समिति/पदोन्नति समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों का नाम निर्देशन करने में "म. प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम की धारा 8 में निहित प्रावधान का अनिवार्यतः पालन किया जाय.

यह कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित समिति की बैठक आयोजित करने वाले प्रशासकीय विभाग की होगी.

हस्ता./-  
(एस. सी. पण्ड्या)  
उपसचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग.  
भोपाल, दिनांक 6 मार्च, 1995.

पृष्ठांकन क्र. एफ.-7-5/94/1/आप्र,

प्रतिलिपि :-

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.  
सचिव, लोक आयुक्त, संगठन कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.  
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.  
सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.  
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
3. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
4. प्रमुख सचिव/सचिव/अपरसचिव/उपसचिव (समस्त) सामान्य प्रशासन विभाग.
5. अवर सचिव (स्थापना)/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.
6. संचालक, जनसम्पर्क कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-  
(यू. एस. बिसेन)  
अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग.